

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ. बी-1-48-2010-2-पांच(11).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के उपनियम (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(16) पदस्थ भारसाधक अधिकारी तथा अन्य आबकारी पर्यवेक्षक कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञप्त परिसर के भीतर या उसके आसपास जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनमोदित किया जाए, किराया मुक्त समुचित निवास स्थान उपलब्ध कराया जाएगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. बी-1-48-2010-2-पांच(11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-48-2010-2-पांच(11), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F B-1-48-2010-2-V(11).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (f) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (15) of rule 3, the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

- “(16) Officer-in-charge and other Excise supervisory staff posted shall be provided with suitable residential accommodation free of rent within the licensed premises or in its close vicinity as may be approved by the Excise Commissioner.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.